

विकास प्राधिकरणवार अधिसूचनाएँ आदि

Other Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (Act No. 1 of 1951) and in partial modification of G. O. No. 68/111-2 dated 11/11/1951, dated July 1, 1983 and other subsequent orders issued in pursuance thereof, the Governor is pleased to direct that all such properties as are mentioned in clauses (1) to (6) of sub-section (1) of Section 117 which were transferred to various local authorities and the Gaon Sabhas under the aforesaid orders and other subsequent orders concerned and which had been transferred to local authorities or Gaon Sabhas as a result of new constitution, reconstitution or change in boundaries, shall, with effect from the date of issue of this Order, be transferred to, and vest in, the later local authorities or Gaon Sabhas, as the case may be, in which they be found included at the date of issue of this Order.

The above orders will have no effect on the properties vested in the Panchayat Development Authority under G.O. No. U.O. 752/Rajaswa-1/1978, dated 5th September, 1978.

1. अयोध्या-फैजाबाद

(1)

उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 4490/11-5-85-99-डी० ए०-78, दिनांक 2 नवम्बर, 1985

कि राज्य सरकार की राय में फैजाबाद जनपद के निम्नलिखित क्षेत्र का सुनिश्चित रूप से विकास आवश्यक है;

उत्तर प्रदेश, अयोध्या, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1974) द्वारा तथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्र को अयोध्या-फैजाबाद विकास क्षेत्र घोषित करते हैं:—

अयोध्या-फैजाबाद विकास क्षेत्र

उपरोक्त क्षेत्र और नौ सेना, स्थल सेना और वायु सेना के किसी प्राधिकारी के स्वामित्व में केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके द्वारा अधिग्रहीत या पट्टे पर ली गई भूमि को छोड़ कर फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत फैजाबाद म्युनिसिपैलिटी और अयोध्या म्युनिसिपैलिटी की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र एवं उसके चारों ओर फैजाबाद जिले के निम्नलिखित 65 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए आने वाला क्षेत्र :

ग्राम	ब्लाक
(1) इब्राहिमपुर-दिवली-उपरहार	सोहावल
(2) जयनपुर	सोहावल

उ० प्र० सरकारी असाधारण गजट, दिनांक 2-11-1985, विभागीय परिशिष्ट, भाग-4 अर्ध (ख) में प्रकाशित।

1	2
(3) फिरोजपुर उपरहार	मसौधा
(4) चिरां मोहमदपुर	सोहावल
(5) सलारपुर	मसौधा
(6) फतेहपुर-सरैया-उपरहार	"
(7) हरीपुर जलालाबाद	"
(8) कोट सरावां	"
(9) रायपुर	"
(10) घाटमपुर	"
(11) मुम्ताजनगर	"
(12) भीखनपुर	"
(13) हाजीपुर सिंहपुर	"
(14) बनवीरपुर	"
(15) अबूसराय	"
(16) जगदीशपुर	"
(17) खोजनपुर	"
(18) पहाड़ गंज	"
(19) गद्देवपुर	"
(20) उतुरु	"
(21) हासापुर	"
(22) पलिया शाहबादी	"
(23) मऊ यदुवंशपुर	"
(24) माधोपुर	"
(25) खानपुर मसौदा	"
(26) टोनिया	"
(27) डाभा सेमर	"
(28) चाम्दपुर	"
(29) पूरा हुसैन खां	"
(30) जनीरा	"
(31) गन्जा -	"
(32) मलिकपुर	"
(33) काजीपुर जमीन मलिकपुर	"
(34) गोपालपुर	"
(35) शिवदासपुर	"
(36) बिरोली	"

1	2
(37) फ़िरोजपुर	मसीधा
(38) धरमपुर सआदत	"
(39) कुश महां	पूरा बाजार
(40) शमशुंदीनपुर	"
(41) मिर्जापर माफी	मसीधा
(42) नन्दापुर	"
(43) भीखापुर	"
(44) कोरखाना	"
(45) देवकाली	"
(46) सुलतानपुर	"
(47) शाहजहांपुर	"
(48) फंजावाद	"
(49) रानोपाली	"
(50) सहनवां	पूरा बाजार
(51) भाशापुर	पूरा बाजार
(52) मकखापुर	मसीधा
(53) हवतपुर	"
(54) जियनपुर	"
(55) बाग बिर्जसी	"
(56) काजीपुर चितवां	"
(57) आसफ बाग उपरहार (राठकपुर आसफबाग)	"
(58) तकपुर	"
(59) कुड़ा केशवपुर उपरहार	पूरा बाजार
(60) शाहेनबाजपुर मांझा	"
(61) शाहनबाजपुर उपरहार	"
(62) आसफबाग मांझा	"
(63) बासपुर उर्फ जैसिहपुर	"
(64) बरहूठा मांझा	"
(65) मोहतरिम नगर उपहार	"

(2)

उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास अनुभाग-5 की अधिसूचना 23 संख्या 6212/
11-5-85-99-डी० ए०-78, दिनांक 2 नवम्बर, 1985¹²

उत्तर प्रदेश 'राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) अधिनियम,
1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और

22. उ० प्र० सरकारी असाधारण गजट, दिनांक 2-11-1985, विघावी परिशिष्ट, भाग-4
खण्ड (ख) में प्रकाशित ।